



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹12,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1122/2015 धारा- 354,323,504,506 भा0द0सं0 व 08 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरीशंकर पुत्र रामप्रकाश निवासी उमरी थाना बिवार जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री अवधनरेश
चन्देल



विवेचक-
उ0नि पंकज कुमार
सिंह



पैरोकार- थाना बिवार
का0 प्रेम सिंह